और तोड़फोड़ की कार्रवाइयों के लिए पाकिस्तान के आसूचना (इंटेलिजेंस) कर्मचारियों ने गिरफ्तार कर लिया था। पाकिस्तानी अधिकारियों ने उन्हें तीन घंटे तक रोके रखा और फिर छोड़ दिया।

23 अगस्त 1967 को सवेरे भारतीय हाई कमीशन के परामर्शदाता ने भारतीय कर्मचारियों को गिरफ्तार करने, गैर-कानूनी तरीके से रोके रखने और इनके साथ दुर्व्यवहार करने के खिलाफ पाकिस्तान के विदेश कार्यालय को एक नोट दिया। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने उस समय हमारे परामर्शदाता को एक नोट दिया जिसमें उन्होंने भारतीय हाई कमीशन के एक वरिष्ट अधिकारी के और अमले के सदस्यों के खिलाफ विरोध प्रकट किया था और उनके आचरण को अनुचित कहा था और मांग की थी कि वे 24 घंटे में पाकिस्तान से चले जाएं।

25 अगस्त 1967 के एक और नोट में पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने हमारे कर्मचारियों के खिलाफ अपने पहले आरोपों को दुहराने के अलावा, इस बात को मानने से इन्कार किया कि हमारे अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया था।

वार्षिक योजनाएं

*9. **श्री मोलहू प्रसाद :**
डा० सूर्य प्रकाश पुरी :
श्री शिवचन्द्र झा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 अगस्त, 1967 के समाचारपत्रों में छपी इस आशय की खबरों की ओर दिलाया गया है कि पंचवर्षीय योजना की बजाय वार्षिक योजनाएं क्रियान्वित की जायेंगी तथा धन की उपलब्धता के अनुसार विभिन्न कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिये कार्यवाही की जायेगी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार 'योजना आयोग' तथा योजना से सम्बन्धित विभिन्न मंत्रालयों में नियुक्त तकनीकी परामर्शदाताओं और अधिकारियों की संख्या उसी अनुपात से कम करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) से (ग) ऐसा कोई समाचार सरकार के ध्यान में नहीं आया है। पर योजना आयोग में इस समय 1968-69 की वार्षिक योजना तैयार की जा रही है इसके तैयार होते ही चौथी पंचवर्षीय योजना की तैयारी का काम, आशा है जनवरी, 1968 में शुरू हो जाएगा। इसलिए तकनीकी परामर्शदाताओं और अन्य कर्मचारियों की संख्या कम करने का प्रश्न नहीं उठता। बहरहाल, प्रशासनिक सुधार आयोग यह जांच कर रहा है कि योजना आयोग में कर्मचारियों की कितनी आवश्यकता है और इसकी रिपोट शीघ्र ही आने की आशा है।

जलप्रांगण की सीमा

*10. **श्री रामजी राम :**
श्री शशि भूषण वाजपेयी :
श्री न० कु० सांघी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 17 जुलाई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5832 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवहन सम्बन्धी अधिकारों की सुरक्षा करने की दृष्टि से देश का जल प्रांगण सीमा को 6 मील से बढ़ाकर 12 मील करने का निर्णय इस बीच किया गया है; और